

Home > हरियाणा ncr > निष्पक्ष और न्यायपूर्ण न्यायिक प्रणाली का धोतक राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस

हरियाणा ncr

निष्पक्ष और न्यायपूर्ण न्यायिक प्रणाली का धोतक राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस

By **Shreyash Panchal** November 9, 2022

2 0



फरीदाबाद, जनतंत्र टुडे

अग्रवाल महाविद्यालय बल्लबगढ़ में आज दिनांक 9 नवम्बर 2022 को कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के तत्वाधान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य देश में न्याय व्यवस्था, अधिकार और कानून को

लेकर जागरूकता फैलाना था। कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के द्वारा इस दिवस को मनाने के लिए एक अतिथि वार्ता का आयोजन किया गया जिसका विषय था- भारत में कानूनी सेवाएं- योजनाएँ और मुद्दे। मुख्य वक्ता के रूप में एडवोकेट

जयम सिंह चौहान, को फाउंडर और वाइस प्रेसीडेंट ओनर आफ वूमैन, नई दिल्ली ने पी पी टी के माध्यम से विद्यार्थियों को कानूनी सेवाओं और व्यवस्थाओं के बारे में आवश्यक जानकारी दी। इस कार्यक्रम का आयोजन कालेज प्राचार्य डॉ. कृष्ण कांत गुप्ता निदेशन में किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य ने विषय की सार्थकता पर बल देते हुए कहा कि भारतीय नागरिक को अपने देश की कानून व्यवस्था में विश्वास बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें देश में उपलब्ध कानूनी सेवाओं और योजनाओं का संज्ञान हो ताकि हर परिस्थितियों में हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के न्याय मिल सके। एडवोकेट जयम सिंह चौहान ने कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से पिछड़े हुए वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि न्याय प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है और सभी को उसके समान अवसर दिए जाना इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। मुख्य वक्ता ने विद्यार्थियों के कानून संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इस कार्यक्रम में 71 विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ की संयोजक डॉ. रितु के धन्यवाद जापन से हुआ।